न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

पीठासीन अधिकारी, श्री बी.एल.मेहरड़ा, आर0ए0एस0

अपील संख्याः–136/2015 (2015/00017)223/ब्यावर

1. श्री नैनू
2. श्री नारायण
3. श्री रामा
4. श्री किशन
5. श्री पांचू पिसरान स्व. श्री लाला समस्त जाति गुर्जर निवासीगण ब्यावरखास तहसील ब्यावर जिला अजमेर।

अपीलांटस

बनाम

1. श्री देवा पुत्र श्री भागू (फौत)
   - 1/1 भंवर पुत्र देवा
   - 1/2 बिरम पुत्र देवा
   - 1/3 कमला पुत्री देवा पत्नि गिरधारी पुत्र पॉचू जाति गुर्जर निवासी बिचड़ली मौहल्ला, ब्यावर जिला अजमेर।
   - 1/4 किशनी पुत्री देवा पत्नि रामचन्द्र पुत्र छाजु ग्राम पाबूथान (लिडी) तहसील पीसांगन जिला अजमेर।
2. श्रीमती कोयली बेवा अमरा पुत्र बालू
3. श्री सुक्खा
4. श्री टीकम
5. श्री छोटू–पिसरान श्री अमरा पुत्र बालू
6. श्रीमती रतनी
7. श्रीमती सीता
8. श्रीमती पप्पूडी पुत्रीया श्री अमरा पुत्र बालू
9. श्री बालू पुत्र श्री भवाना समस्त जाति गुर्जर निवासीयान ब्यावर खास, तहसील ब्यावर जिला अजमेर
10. श्री हरचंद पुत्र प्रताप जाति जाट
11. राज. सरकार बजरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार ब्यावर
12. उपपंजीयन ब्यावर तहसील ब्यावर ।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राज0काश्तकारी अधिनियम 1955 के निर्णय एंव डिक्री दिनांक 22.04.2013, राजस्व वाद संख्या 93/2012 विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी ब्यावर।

उपस्थितः–

1. श्री मुकेश जैन/भवानी सिंह रावत गुर्जर एड़वोकेट अपीलांट की ओर से।
2. श्री सोहनपाल सिंह चौधरी एड़वोकेट रेस्पोडेंट संख्या 1से3, 5 से 10 की ओर से।
3. राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 11, 12 की ओर से।
4. रेस्पोडेन्ट सख्या 04 अनुपस्थित।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

निर्णय

दिनांकः– 7.3.2019

01. अपीलांट ने यह अपील सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 22.04.2013, राजस्व वाद संख्या 93/2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की है।

02. प्रकरण में संक्षिप्त एवम् सारगर्भित तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांटस/वादीगण की ओर से एक वाद अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर के समक्ष अन्तर्गत धारा 88, 188, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश कर कथन किया कि वादग्रस्त भूमियॉ जो कि क,ख, ग, घ, च व छ में वर्णित जो ग्राम ब्यावर खास तहसील ब्यावर में अवस्थित है। चरण सख्या 01(क) में वर्णित भूमि के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार वादीगण 1/2 हिस्से के तथा प्रतिवादी संख्या 01 एवं प्रतिवादी संख्या 2 से 5, 1/2 हिस्स के एवं स्व.अमरा के वारिसान उसकी पुत्रियॉ प्रतिवादीगण संख्या 06 से 08 भी प्रतिवादी संख्या 2 से 5 के साथ सहखातेदार काश्तकार है। इस प्रकार से वाद पत्र की चरण संख्या 1(ख) में वर्णित भूमियों के रेकार्डेड खातेदार काश्तकार वादीगण 1/2 हिस्से के एवं प्रतिवादी संख्या 2 से 5, 1/2 हिस्से के एवं स्व.अमरा की वारीसान उसकी पुत्रियॉ प्रतिवादीगण संख्या 6 लगायत 8 भी प्रतिवादी संख्या 02 से लगायत 5 के साथ सहखातेदार काश्तकार हैं, जिसमें खसरा नम्बर 2118, 2119 2133, 2135 व 2136 में निहित 1/4 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 ने जरिये रजिस्टर्ड बेचाननामा के द्वारा प्रतिवादी संख्या 02 को बेचान कर दिया और अमलदरामद होकर जमाबंदी में दर्ज भी हो चुका हैं। इसी प्रकार से खसरा नम्बर 2128 व 2134 में निहित प्रतिवादी संख्या 1 का 1/4 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 02, 03, व 5 क्रमशः कायेली, सुक्खा व छोटू ने अपना निहित हिस्सा जरिये रजिस्टर्ड बेचाननामा के द्वारा दिनांक 20.12.2011 के द्वारा प्रतिवादी संख्या 10 को बेंचान कर दिया जिसका नाम जमाबंदी में भी दर्ज हो चुका है। इस प्रकार से खसरा नम्बर 2116, 2138, 2139, 2254, 2255/2, 2270/2, 2271/2, 2272/1, 2274, 2275 में प्रतिवादी संख्या 01 का 1/4 हिस्सा ही शेष बचा है।

इसी प्रकार से वाद पत्र की चरण संख्या 1(क) में वर्णित भूमि के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार वादीगण 1/2 हिस्से के तथा प्रतिवादी संख्या 1 एवं प्रतिवादीगण संख्या 2 लगायत 5, 1/2 हिस्से के एवं स्व.अमरा के वारीसान उसकी पुत्रियॉ प्रतिवादीगण संख्या 6 लगायत 8 भी प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 5 के साथ सहखातेदार काश्तकार है।

इसी प्रकार से वाद पत्र की चरण संख्या 1(घ)में वर्णित भूमि के रेकार्डेड खातेदार काश्तकार वादीगण 2/3 हिस्से के तथा प्रतिवादी संख्या 1 एवं प्रतिवादी संख्या 02 लगायत 5, 1/3 हिस्से के एवं स्व.अमरा के वारीसान उसकी पुत्रियॉ प्रतिवादीगण संख्या 06 लगायत 8 भी प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 5 के साथ सहखातेदार काश्तकार है।

इसी प्रकार से वाद पत्र की चरण संख्या 1(च)में वर्णित भूमि के रेकार्ड खातेदार काश्तकार वादीगण 1/2 हिस्से के तथा प्रतिवादी संख्या 9, 1/2 हिस्से के खातेदार काश्तकार है।

इसी प्रकार से वाद पत्र की चरण संख्या 1(छ) में वर्णित भूमियों के रिकार्डेड खातदेार काश्तकार वादीगण 1/6 हिस्से के तथा प्रतिवादी संख्या 1, 1/3, हिस्से एवं प्रतिवादीगण संख्या 2 लगायत 8, 1/3 हिस्से के एवं प्रतिवादी संख्या 9, 1/3 हिस्से के खातेदार काश्तकार है। चूँकि सहवन से पद संख्या ग में दिखायी गयी आराजी खसरा नम्बर 2142 रकबा 9 बीघा 17 बिस्वा 10 बिस्वांसी का राजस्व रिकार्ड में गलत इन्द्राज थे किन्तु इन्द्राज को अपीलांट के अभिभाषक ने समझे बिना ही वादीगण को 1/2 हिस्से का व प्रतिवादीगण को 1/2 हिस्से का हिस्सेदार मानते हुए बंटवारे की इस्तदुआ कर दी जबकि वस्तु स्थिति यह थी कि उक्त आराजी के अपीलांट/वादीगण 8 बीघा 14 बिस्वा 10 बिस्वांसी के खातेदार थे एवं प्रतिवादीगण/रेस्पोडेन्अस 1 बीघा 5 बिस्वा के खातेदार थे। इसी प्रकर आराजी खसरा नम्बर 2134 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा पद संख्या ख में स्थित है, गै.मु.धोरा

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

के बंटवारे की, वादीगण की ओर से इस्तदुआ चाही थी जिसको प्रदान नहीं की गयी एवं इस प्रकार खसरा नम्बर 2128 रकबा 11 बिस्वा चाह का बंटवारे के बाबत् भी अपने निर्णय में अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर द्वारा प्रतिवादीगण का जवाब लेकर अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 22.04.2013 के द्वारा अपीलांटस/वादीगण के पक्ष में अविधिक रूप से प्रारम्भिक डिक्री जारी कर दी। अपीलांटस अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 22.04.2013 से असंतुष्ट होकर यह अपील न्यायालय हाजा में प्रस्तुत की है।

03. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। रेस्पोडेन्टस को नोटिस जारी किये गये, रेस्पोडेन्ट संख्या 01 से 3 य 5 सें 12 की ओर से उनके अभिभाषक उपस्थित हुए। रेस्पोडेन्ट संख्या 04 बावजूद सूचना के भी उपस्थित नहीं हुए। तत्पश्चात अभिभाषक उभय पक्षकारान की बहस सुनी गयी।

04. विद्धान अभिभाषक अपीलांट ने अपने अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में कथन किया कि अपीलांटस के पिता लाला व रेस्पोडेन्ट के बाबा बालू ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 15.02.1963 के द्वारा आराजी हाल खसरा नम्बर 2142 साबिक खसरा नम्बर 1436 रकबा 9 बीघा 17 बिस्व 10 बिस्वांसी में से 2 बीघा 10 बिस्वा का बेचान कर दिया था और उक्त आधार पर अपीलांअस के पिता एक बीघा 5 बिस्वा के एवं रेस्पोडेन्ट के बाबा एक बीघा 5 बिस्वा, 1/2–1/2 हिस्से खातेदार हो गये एवं आराजी खसरा नम्बर 1436 का शेष रकबा 9 बीधा 17 बिस्वा 10 बिस्वांसी में से 2 बीघा 10 बिस्वा का बेचान करने के पश्चात 7 बीघा 9 बिस्वा 10 बिस्वांसी खातेदार के पास रह गये। उक्त 7 बीघा 9 बिस्वा 10 बिस्वांसी का अपीलांटस ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 26.12.1977 के द्वारा खातेदार से सम्पूर्ण भूमि खरीद कर ली और इस प्रकार अपीलांटस/वादीगण उक्त आराजी साबिक खसरा नम्बर 1436 जिसके हाल खसरा नम्बर 2142 कायम किये गये है के खातेदार हो गये है। इस प्रकार अपीलांटस के हिस्से में आराजी साबिक खसरा नम्बर 1436 हाल खसरा नम्बर 2142 के 7 बीधा 9 बिस्वा 10 बिस्वांसी में 1 बीघा 5 बिस्वा जो अपीलांटस के पिता लाला द्वारा खरीद की गई थी को जोड़ने के पश्चात 8 बीघा 14 बिस्वा 10 बिस्वांसी के अपीलांटस खातेदार काश्तकार हो जाते है और उक्त आधार पर अपीलांटस के हिस्स में 8 बीघा 14 बिस्वा 10 बिस्वांसी के इन्द्राज राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने चाहिए थे और उसी अनुसार अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर से प्रारम्भि डिक्री जारी होनी चाहिए थी किन्तु अपीलांटस के अभिभाषक ने उक्त स्थिति को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष स्पष्ट नहीं किया और अपीलांटस के पक्ष में त्रुटिपूर्ण वाद डिक्री हो गया। इस आधार पर अपीलांटस को न्यायालय हाजा के समक्ष अपील प्रसतुत करनी पड़ी हैं। न्यायालय हाजा से अनुरोध है कि अपील अपीलांटस स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर के निर्णय व डिक्री दिनांक 22.04.2013 को निरस्त किया जाकर अपीलांटस के पक्ष में आराजी खसरा नम्बर 2142, 2128, 2134 के बाबत् विधिवत अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री में संशोधि करते हुए प्रारम्भिक डिक्री पारित करने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावे।

5. विद्धान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1से 3, 5 से 10 ने दौराने जवाब अपील में निवेदन किया कि अपीलांटस/वादीगण ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जो वाद पत्र में जो अनुतोष मांगा है वही निर्णय व डिक्री में दिया गया है। यदि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादीगण द्वारा गलत दावा प्रस्तुत किया गया तो वो अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आदेश 6 नियम 17 जा.दी. के तहत् संशोधित वाद पेश कर सकते थे। जिसमें किसी प्रकार की त्रुटि कारित नही की है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण की सहमति से वाद का निर्णय किया गया है। अपीलांट/वादीगण वर्णित भूमियों में विद्यमान अपने हक हिस्से से अधिक की भूमियों पर काबिज होना चाहते है। वादीगण के परिवार में अधिक

संख्या में लोग है अतः वे अपने शक्ति बल के आधार पर सदैव लड़ाई झगड़ा करने उतारू रहते है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री विधि सम्मत होने से अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज की जावें। अभिभाषक रेस्पोडेन्टस ने अपने पक्ष में आर.आर.टी.2007 (1)पेज 360, आर.आर.ड़ी.1998 पेज 143 का न्यायिक दृष्टांत पेश किया है।

6. हमने अपील एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध आधार अभिलेखों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर बहस विद्वान अभिभाषक उभय पक्षकारान पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से यह पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादी को बिना जिरह का अवसर दिये एवं बिना दस्तावेजात को विधिवत् प्रदर्शित करवाये निर्णय पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उभयपक्षकारान का कोई राजीनामा भी नही हैं, जिससे प्रतीत नहीं होता है कि वाद सहमति से डिक्री किया गया है। जमाबंदी सम्वत 2066 रकबा 00–11–00 चाही अंकित होना प्रकट होता है परन्तु अपीलांट–वादी का कथन है इसमें कुआ विद्यमान है इस बाबत् न्यायालय की पत्रावली में कोई दस्तावेज उपलब्ध नही है। अपीलाट द्वारा अपील के साथ विक्रय पत्रों की प्रतियॉ क्रमशः दिनांक 15.02.1963 एवं दिनांक 26.12.1977 की प्रस्तुत की है परन्तु अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध वाद पत्र के अवलोकन से जाहिर है कि इस सम्बन्ध में अनुतोष/अभिवचन नहीं किये गये है । जब तक अभिवचन में संशोधन नही हो तब तक वांछित अनुतोष नहीं दिया जा सकता है। इस संबंध में न्यायालय प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत उक्त नजीरों में अभिनिर्धारित सिद्धांत से सहमत है जिसमें निर्धारित किया है कि न्यायालय पक्षकारों को अभिवचन के बाहर जाकर कोई प्रकरण नहीं बना सकता है ।

उक्त विवेचनानुसार विधिक त्रुटियों के कारण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर का निर्णय व डिक्री दिनांक 22.04.2013 को यथावत् रखे जाने योग्य नही पाये जाने से निरस्तनीय पाया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को उपरोक्त विवेचन के प्रकाश में प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य पाया जाता है ।

7. अतः अपील अपीलांटस आंशिक स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर का निर्णय एवं प्रारंम्भिक डिक्री दिनांक 22.04.2013 निरस्त की जाती है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपख्ण्ड अधिकारी, ब्यावर को इस आशय से प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे उपरोक्त विवेचन के प्रकाश में पक्षकारान को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए पुनः निर्णय पारित करे। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

7/3/19

(बी.एल.मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकरी,
अजमेर

08. आदेश आज दिनाक 7.3.19 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

7/3/19

(बी.एल.मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकरी,
अजमेर